

सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के नरिणय पर अंतरमि रोक लगाने से कथिा इनकार

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पटना उच्च न्यायालय के उस नरिणय पर रोक लगाने से इनकार कर दथिा, जसिमें बहिर में [अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात](#), [पछिडा वर्ग](#) और अत्यंत पछिडा वर्ग के लथिि लोक नथिोजन तथा शैक्षणकि संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के नरिणय को रद्द कर दथिा गया था ।

मुख्य बढि

- पटना उच्च न्यायालय ने बहिर में संशोधति [आरक्षण कानून](#) को रद्द कर दथिा, जसिके तहत दलतियों, आदवासियों और पछिडे वर्गों के लथिि कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दथिा गया था । न्यायालय ने संशोधनों को संवधान के "[अधिकारातीत](#)" (Ultra Vires), "वधिकी दृष्टि से दोषपूर्ण" (Bad in Law) और "समता खंड का उल्लंघन" करार दथिा ।
 - ये संशोधन एक जात [सर्वेक्षण](#) के बाद कथिि गए थे, जसिमें अन्य पछिडा वर्ग और अत्यंत पछिडा वर्ग का प्रतशित राज्य की कुल जनसंख्या का 63% था जबकि [अनुसूचति जात](#) एवं [अनुसूचति जनजात](#) का प्रतशित 21% से अधिक था ।
- आरक्षण [कोटा](#) बढ़ाए जाने के बाद, आर्थकि रूप से कमजोर वर्गों के लथिि आरक्षण सहति राज्य में कुल 75% सीटें आरक्षति हुई ।

आरक्षण

- [आरक्षण](#), नश्चयातमक वभिद का एक रूप है, जसिं हाशियाई वर्गों में समता को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजकि तथा दीर्घकालकि अन्याय से संरक्षण प्रदान करने के लथिि नरिपति कथिा गया है ।
- यह रोजगार और शकिषा तक पहुँच में समाज के हाशियाई वर्गों को अधमिनी सुवधि प्रदान करता है ।
- इसे मूल रूप से वर्षों जारी भेदभाव को समाप्त करने और वंचति समूहों को बढ़ावा देने के लथिि वकिसति कथिा गया था ।